M. Com. IInd Semester

Subject - Insurance (बीमा)

Paper - IV (C)

Lecture By :

Dr. Rajesh Kesari
Associate Professor
(Ex. HOD & Dean)
Commerce faculty
Nehru Gram Bharati
(Deemed to be)
University, Prayagraj.

Topic - अग्नि बीमा कराने की विधि

अग्नि बीमा कराने की विधि

प्रस्ताव (Proposal)

अग्नि बीमा का प्रस्ताव कम्पनी के छपे हुये प्रस्ताव-पत्र में दिया जाता है। इस अध्याय के परिशिष्ट में अग्नि बीमा के प्रस्ताव-पत्र का एक नमूना दिया गया है। इसे देखने से विदित होगा कि प्रस्ताव-पत्र में ऐसी समस्त सूचनाएँ माँगी जाती हैं जिनसे प्रस्तावित जोखिम सम्बन्धी संकटों (Hazards) को पूर्णरूपेण आँका जा सके।

भौतिक संकट (Physical Hazard) ज्ञात करने के लिए कम्पनी निम्न-लिखित विवरण प्रस्ताव-पत्र में माँगती है : (1) भवन किस प्रकार निर्मित है, (2) बीमित सम्पत्ति भवन, फर्नीचर, माल, स्टॉक, मशीनरी आदि) किस स्थान पर है, (3) भवन में कहाँ-कहाँ क्या-क्या सामान है तथा संकटास्पद माल क्या-क्या है, (4) कौन-सा व्यापार या निर्माण-कार्य होता है, (5) भवन के आस-पास पचास फीट की दूरी तक कौन-कौन मकान हैं, उनका निर्माण और दखल कैसा है, (6) प्रकाश और ताप की क्या व्यवस्था है।

आचारिक संकट (Moral Hazard) सम्बन्धी सूचनाओं के लिए प्रस्ताव पत्र में ये प्रश्न होते हैं कि स्टॉक, आदि का मूल्यांकन कब-कब किया जाता है, क्या प्रस्तावित सम्पत्ति का बीमा पहले हुआ था, क्या पहले कोई बीमा प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ था, या बीमापत्र रद्द हुआ था, क्या इसके पूर्व कभी अग्नि द्वारा हानि हुई थी, आदि। प्रस्तावक को अपना नाम, पूरा पता, बीमा की अवधि, सम्पत्ति का बीमित मूल्य, आदि स्पष्टतः लिखना होता है।

प्रस्ताव-पत्र की ये सूचनाएँ सत्य, पूर्ण और स्पष्ट दी जानी चाहिए और किसी प्रकार का मिथ्याप्रदर्शन या गोपन नहीं होना चाहिए। प्रस्तावक को यह घोषणा देनी होती है कि उसने सभी विवरण सत्य दिये हैं, और यह प्रस्ताव-पत्र कम्पनी से हो रही संविदा का आधार माना जायेगा।

सर्वेक्षण (Survey)

साधारण कोटि के जोखिमों को आँकने के लिए प्रस्ताव पत्र में दिये हुए विवरणों से ही काम चल सकता है। किन्तु बड़े-बड़े जोखिम (जैसे कारखानों, आदि) का बीमा करने के लिए विशेष छानबीन की आवश्यकता होती है। इसका कारण यह है कि प्रस्ताव-पत्र के विवरणों के आधार पर बड़े जोखिमों के प्रस्तावों का प्रीमियम निर्धारित करने में कठिनाई हो सकती है। अतएव प्रस्तावित बीमे के लिए निरीक्षण द्वारा आवश्यक सूचनाएँ प्राप्त करना जरूरी हो सकता है। इसके लिए ही कम्पनी जोखिम का सर्वेक्षण (Survey) कराती है। सर्वेक्षक प्रातावित जोखिम से सम्बन्धित भौतिक एवं आचारिक संकटों की पूर्णरूपेण जाँच करते हुए अपनी रिपोर्ट तैयार करता है। सर्वेक्षण अग्नि बीमा के प्रस्तावित जोखिम की 'डॉक्टरी जाँच' कहा सकता है।

प्रस्ताय की स्वीकृति

यदि प्रस्ताव-पत्र, सर्वेक्षण-रिपोर्ट आदि को देखते हुए जोखिम स्वीकार करने योग्य प्रतीत हुआ तब कम्पनी इसके लिए प्रीमियम निर्धारित करती है। बीमा अधिनियम के अनुसार बीमादाता कोई जोखिम संवृत्त नहीं कर सकता जब तक उसका प्रीमियम अग्रिम न जमा कर दिया जाय। अतएव प्रस्तावक जब प्रीमियम जमा कर देता है, तब कम्पनी अस्थायी आधार पर (provisionally) जोखिम संवृत्त कर लेती है। इसके साक्ष्य के लिए कम्पनी तुरन्त ही एक कवर नोट (Cover Note) बीमा कराने वाले को दे देती है। इस कवर नोट की अनुसूची में बीमा सम्बन्धी आवश्यक विवरण दिये जाते हैं, जैसे बीमादार का नाम और पता, बीमित सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण, बीमित रकम, बीमा की अवधि, संवृत्त जोखिमों का बिवरण, प्रीमियम आदि।

जोखिम का आरम्भ

सामान्यत: कवर नोट में उल्लिखित तिथि से बीमित वस्तु के प्रति कम्पनी का दायित्व प्रारम्भ हो जाता है। कवर नोट केवल अल्प-काल के लिए होता है। इस बीच कम्पनी बीमापत्र तैयार करती है। बीमापत्र जारी होने की तिथि से कवर नोट स्वतः रद्द हो जाता है और जोखिम बीमापत्र के अन्तर्गत संवृत्त हो जाता है।

अग्नि बीमापत्र

अग्नि बीमापत्र में संविदा सम्बन्धी आवश्यक विवरणों और शर्तों का उल्लेख होता है। इन शर्तों के अनुसार ही बीमापत्र और कम्पनी के पारस्परिक अधिकारों और दायित्वों को निर्धारित किया जा सकता है। अग्नि बीमापत्र के मुख-पृष्ठ पर प्राय: इन बातों का ब्यौरा दिया रहता है : (1) बीमापत्र की संख्या, बीमादार का नाम और पता; (2) कुल बीमित रकम; (3) बीमित सम्पत्ति का पूर्ण विवरण; (4) संवृत्त जोखिम का विवरण: (5) प्रीमियम; (6) बीमा की